संख्या-07 /2026/38/6099(99)/91/ 2023

प्रेषक,

जयनाथ यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2026

विषयः-**दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना(डी०डी०यू०जी०के०वाई०) के अन्तर्गत अनुदान सं0- 83 में वित्तीय वर्ष 2025-26 में एस0एन0ए0 स्पर्श प्रणाली पर भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश धनराशि की मदर सैंशन के सापेक्ष संगत राज्यांश की धनराशि निर्गत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-6325/2098/लेखा/ डी०डी०यू०जी०के० वाई०/2025-26 दिनांक 27-03-2026 के क्रम में अवगत कराना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या -17036/57/2013-SGSY II (SP) Part-1(35) दिनांक 25.03.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु डी०डी०यू०जी०के० वाई० के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश Mother Sanction की धनराशि द्वारा अनुदान सं0-83 (अनु0 जाति मद) लेखाशीर्षक 2501-04-789-01-04 मानक मद-27 सब्सिडी के अंतर्गत केन्द्रांश की धनराशि रू0 रू० 947.44 लाख के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू0 631.62 लाख अर्थात **कुल धनराशि रू० 1579.06 लाख (पन्द्रह करोड़ उन्यासी लाख छः हजार)** की धनराशि अवमुक्त किया जाना है।

2- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में डी०डी०यू०जी०के०वाई० योजनान्तर्गत एस0एन0ए0 स्पर्श माडयूल के अंतर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.03.2026 द्वारा स्वीकृत मदर सैक्शन के सापेक्ष अनुदान सं0-83 (अनु0 जाति मद) लेखाशीर्षक 2501-04-789-01-04 मानक मद-27 सब्सिडी के अंतर्गत केन्द्रांश की धनराशि रू० 947.44 लाख सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू० 631.62 लाख अर्थात **कुल धनराशि रू० 1579.06 लाख (पन्द्रह करोड़ उन्यासी लाख छः हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रुप से उपलब्ध है। तदोपरांत ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम का होगा।

(5) योजनांतर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) स्वीकृत धनराशि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने पर, उक्त पर व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम का होगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(12) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग/व्यय में भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.03.2026 में अंकित निर्देशों/शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(14) एस0एन0ए0 स्पर्श प्रणाली पर ऑनबोर्ड की गयी केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं से संबंधित वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने सम्बन्धी भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 जुलाई, 2023 एवं तत्क्रम में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2025, 30 जनवरी, 2025, 01 जुलाई, 2025 तथा 26 सितम्बर, 2025 को निर्गत किये गये सुसंगत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **1579.06 लाख (पन्द्रह करोड़ उन्यासी लाख छः हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक** 2501047890104 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना(डी०डी०यू०जी०के० वाई०) (के.60/रा.40-के.+रा.) **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **ई-2-274-दस-2025-26 दिनांक: 29-3-2026** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
जयनाथ यादव
विशेष सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (सिविल आडिट)- प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन),नई दिल्ली।
4. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. अपर आयुक्त लेखा, ग्राम्य विकास उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. ग्राम्य विकास अनुभाग-8 /नियोजन अनुभाग-4
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जयनाथ यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।